

Hemenand Yadav Vishwavidyalaya, Durg (C.G.)

FORMATE-1

COLLEGE NAME- SAMADHAN COLLEGE, BEMETARA

SESSION- 2023-24

PRINCIPAL NAME - DR. AWADHESH PATEL PHONE No. - 07824-299001


MO. NO.- 9329329726

E-MAIL ID- samadhancollege.bemetra@gmail.com

Last Update - 08/12/2023

Class Name	Gen				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.Com. I	1	2	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0	6	1	0	7	0	0	0	1	8	4	0	12
B.Com. II	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
B.Com. III	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	3	2	0	5
B.C.A. I	1	0	0	1	1	2	0	3	2	0	0	2	9	2	0	11	0	0	0	0	13	4	0	17
B.C.A. II	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	6	0	0	6
B.C.A. III	2	0	0	2	1	1	0	2	1	0	0	1	5	2	0	7	0	0	0	0	9	3	0	12
B.B.A. I	2	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	5	5	0	10
B.B.A. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.B.A. III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.SC. (C.S.) I	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	3
B.SC. (C.S.) II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
B.SC. (C.S.) III	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	0	2	3	0	5
B.A. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.A. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.A. III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	4
PGDCA	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	8	2	0	10	0	0	0	0	11	2	0	13
PGDYEP	2	3	0	5	3	1	0	4	0	0	0	0	11	9	0	20	0	0	0	1	16	13	0	29
B.Ed. I	14	5	0	19	12	2	0	14	9	16	0	25	24	18	0	42	0	0	0	0	59	41	0	100
B.Ed. II	2	7	0	9	13	6	0	19	16	6	0	22	33	11	0	44	0	0	0	0	64	30	0	94
GRAND TOTAL	26	26	0	52	39	13	0	52	30	24	0	54	109	51	0	160	0	0	0	3	204	109	0	313




 Principal
 Samadhan College, Bemetara
 (CHHATTISGARH) 491335

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 3948/1253/आउशि/सम./2023
प्रति

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/6/2023

1. कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31.05.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

[Signature]

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/6/2023

पृ.क्रमांक 3949/1253/आउशि/सम/2023
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

[Signature]

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



[Signature]
Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 31/5/23

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषय:-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:-

आपका प्रस्ताव क्रमांक 3921/1253/आउशि/सम./2023 दिनांक 12.05.2023

-----00-----

विषयांतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

आपके प्रस्तावानुसार सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(ए.आर. खान)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 31/5/2023

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
- की ओर सूचनाार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2023-24

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत



Principal

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर नी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।



[Handwritten Signature]

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) | इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (र) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में
भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए
चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय
जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर
कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

10 प्रतिशत



[Handwritten Signature]

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

टीप :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कं. एफ 13-1/2023/आ.प्रा. /1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कं. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।



[Handwritten Signature]

Principal

Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयवधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयवधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो



[Handwritten Signature]

Principal

Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत्. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2006—वैशाख 8, शक 1928

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5-20/2006.—राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में महाविद्यालयों में बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार - इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी एड प्रवेश नियम, 2006 होगा। यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी एड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।

271



Bipul

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो -
- (क) "राज्य शासन" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,
- (ख) "श्रेणी" से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर),
- (ग) "संवर्ग" से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तथा भूतपूर्व सैनिक,
- (घ) "प्री बी एड परीक्षा" से तात्पर्य है, बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,
- (ङ) "संचालक" से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
- (च) "अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल-अचल संपत्ति की कोई भी सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी के अनुसार निकाला जाएगा,
3. बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश -
- (क) प्री बी एड परीक्षा - बी एड के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री बी एड परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर की गई काउन्सलिंग के माध्यम से ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- (ख) मूल निवासी - राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बी एड पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर, तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
- (ग) न्यूनतम आयु - किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री बी एड परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो।
4. प्री बी एड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं - बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी -
- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त हो। ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री बी एड परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उन्हें काउन्सलिंग के समय त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। काउन्सलिंग के समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री बी एड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।



Principal

Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

प्राणया होगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वटिकल आरक्षण अथवा श्रेणी - वटिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा -

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) के लिए 14 प्रतिशत

स्पष्टीकरण - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग - क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा -

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।

6. प्री बी एड परीक्षा -

(क) प्रतिवर्ष बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री बी एड परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री बी एड परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा उर्जेसी बदल सकेगा।



Principal

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

- (c) Minimum age - No candidate will be given admission to B.Ed. course who, has not completed the age of 20 years on or before 31st December of the year of Pre-B.Ed. Examination.
4. Qualifications for appearing in Pre-B.Ed. Examination - The qualifications for appearing in Pre-B.Ed. Examination shall be as follows: -
- (a) Must be a citizen of India,
- (b) Must have passed a three years degree course from a recognized University. Candidates who have appeared in the final year examination of a three year degree course will be given provisional admission in the Pre-B.Ed. examination, but they will have to submit the proof of having passed the three years degree course at the time of counseling. In the event of not submitting such a proof they will not be given admission in the B.Ed. course in spite of their being in the merit list of Pre-B.Ed. Examination.
5. Reservation of seats in B.Ed. course - There will be both vertical and horizontal reservation in the seats available for B.Ed. course. There will be categories for vertical reservation and classes for horizontal reservation.
- (a) Vertical reservation or Category - Vertical reservation will be as follows: -
- (First) 15% for Scheduled Caste,
- (Second) 21 % for Scheduled Tribe,
- (Third) 14% for Other Backward Classes (Excluding creamy layer)

Explanation - For getting the benefit of reservation in Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes (Excluding Creamy Layer) categories, a Caste Certificate as per the instructions issued in this regard by Government of Chhattisgarh, General Administration Department will have to be submitted.

- (b) Horizontal Reservation or Class - Horizontal means that this reservation will be equally distributed among the seats of all categories. Horizontal reservation will be as follows: -
- (First) 6% for Disabled Class. For getting the benefit of reservation in this class, a Certificate of being disabled as per the instructions issued in this regard from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration will have to be submitted.
- (Second) 3% for Freedom Fighter Class. For getting the benefit of reservation in this class, a Certificate of being a freedom fighter of son/daughter/grandson/grand daughter of freedom fighter as per the instructions issued in this regard from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration will have to be submitted.
- (Third) 3% for Ex-Army Class, For getting the benefit of reservation in this class a Certificate of being Ex-Army Personnel, as per instructions issued in this regard from time to time by Government of Chhattisgarh, General Administration Department will have to be submitted.
- (Fourth) 30% for Women Class.
6. Pre-B.Ed. Examination -
- (a) A Pre-B.Ed. Examination will be organized every year for admission to B.Ed. course.
- (b) State Government shall by an order appoint an agency to conduct Pre-B.Ed. Examination. The State Government can at any time change the agency by an order made for this purpose.



B. Prasad
Principal



पत्र क्र./शिक्षक-शिक्षा/बी.एड./30-1/प्रवेश/2023-24 29/08/23 रायपुर दिनांक 02/08/23

बी.एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2023 की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम 2023-24 में प्रवेश के लिए इच्छुक प्री.बी.एड. परीक्षा 2023 में शामिल व छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006 अनुसार तथा राज्य के शासकीय डाइट/बी.टी.आई. व निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम 2023-24 में प्रवेश के लिए इच्छुक प्री.डी.एल.एड. परीक्षा 2023 में शामिल व छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 अनुसार पात्र अभ्यर्थी चिप के Website <https://slom.cgstate.gov.in/SCERTOnline/> में जाकर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

विस्तृत सीट आबंटन कार्यक्रम, आवश्यक दिशा निर्देश, प्रवेश नियम व प्रक्रिया, महाविद्यालयों व संस्थानों की सूची व शुल्क की जानकारी SCERT रायपुर के वेबसाइट <https://scert.cg.gov.in> एवं CHIPS के वेबसाइट में उपलब्ध है। आबंटन प्रक्रिया व्यापम द्वारा जारी प्री.बी.एड./प्री. डी.एल.एड. परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। आबंटन कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम (बी.एड./डी.एल.एड.)

क्र.	विवरण चरणवार	बी.एड.		डी.एल.एड.	
		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण					
1	पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि।	18.08.2023	27.08.2023	17.08.2023	23.08.2023
2	प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	01.09.2023	04.09.2023	31.08.2023	01.09.2023
3	प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी करना।	06.09.2023		05.09.2023	
4	प्रथम चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	06.09.2023	13.09.2023	05.09.2023	11.09.2023
5	रिक्त सीटों की जानकारी	14.09.2023		12.09.2023	
6	प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	19.09.2023	20.09.2023	14.09.2023	15.09.2023
7	प्रथम चरण की द्वितीय सूची जारी करना।	22.09.2023		20.09.2023	
8	प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	22.09.2023	27.09.2023	20.09.2023	26.09.2023
9	रिक्त सीटों की जानकारी	29.09.2023		27.09.2023	
द्वितीय चरण					
10	पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि।	30.09.2023	05.10.2023	29.09.2023	03.10.2023
11	द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	09.10.2023	10.10.2023	06.10.2023	07.10.2023
12	द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना।	12.10.2023		10.10.2023	
13	द्वितीय चरण की सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	12.10.2023	17.10.2023	10.10.2023	16.10.2023
14	रिक्त सीटों की जानकारी	18.10.2023		17.10.2023	
15	द्वितीय चरण की दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति।	20.10.2023	23.10.2023	19.10.2023	20.10.2023



Biretta

16	द्वितीय चरण की दूसरी सूची जारी करना।	26.10.2023	25.10.2023
17	द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आबंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि।	26.10.2023	31.10.2023
18	रिक्त सीटों की जानकारी	01.11.2023-	31.10.2023

वर्तमान में दो ही चरण की आबंटन प्रक्रिया के कार्यक्रम जारी किये जा रहे हैं यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो तीसरे चरण का आबंटन कार्यक्रम व दिशा निर्देश बाद में एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट जारी किया जायेगा।

अभ्यर्थी पत्र व्यवहार तथा दावा आपत्ति E-mail suport.slem@cgchips.in पर आवश्यक दस्तावेज/आवेदन पत्र भेजकर कर सकते हैं। पूछताछ के लिए कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे रा. शाम 5 बजे तक चिप्स के हेल्प डेस्क 7470470609 एवं एस.सी.ई.आर.टी. के हेल्प डेस्क 758749992 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त समस्त प्रवेश प्रक्रिया, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र./एफ. 13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 07.08.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

[Handwritten Signature]

(पुष्पा किस्पोट्टा)
उपसंचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर



[Handwritten Signature]

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335

Over all Seat Matrix

College : SAMADHAN COLLEGE Programme : B.Ed.

Print Date time : 25-Sep-2024 01:02 PM

Merit_ORG_Course_Code	District_Name	ORG_Name	Course_Type_Name	Course_Name	ORG_Code	Total_No_Of_Seats	UR	UR_D	UR_A	UR_FF	UR_EX	O	OB	OBC	OBC	OBC	OBC	SC	SC	SC	SC	ST	ST	ST	ST			
							UR	_F				BC	C_F	_DA	_FF	_EX	SC	_F	DA	_F	_E	ST	_F	DA	_F	_E	OS	
114335	Bemetara	SAMADHAN COLLEGE	B.Ed.	B.Ed.	114335	100	33	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	25	0	0	0	0	20



Beta

Principal
Samadhan College, Bemetara
(CHHATTISGARH) 491335